दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 28.02.2025

सि.वि.(मु.) 2301/2024 व सि.वि. आवे. 20615/2024 कॉल डेटा के संरक्षण हेतु व सि.वि. आवे. 61147/2024 आ 16 नि 6 सि.प्र.सं.

CM(M) 2301/2024 & CM APPL. 20615/2024 & CM APPL. 61147/2024

गौतम मेहरा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मालविका राजकोटिया, श्री मयंक ग्रोवर, सुश्री आशना तलवार, अधिवक्तागण

बनाम

सोनिया मेहरा व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रशांत मेंदीरत्ता, सुश्री नेहा जैन, श्री संचित सैनी एवं श्री राहुल भास्कर अधिवक्तागण
श्री श्रीश कोहली, प्र.-2 हेतु अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंद्र डुडेजा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>न्या., रविंदर डुडेजा</u>

1. याचिकाकर्ता ने हि.वि.अ. सं. 991/2023 में पारित दिनांक 04.03.2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा माननीय कुटुंब न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता **["सि.प्र.सं."]** के आदेश 16 नियम 6 सहपठित कुटुंब न्यायालय की धारा 14 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रत्यर्थीगण के कॉल डेटा रिकॉर्ड के संरक्षण की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाद याचिकाकर्ता द्वारा साकेत कुटुंब न्यायालय में *"गौतम मेहरा बनाम सोनिया मेहरा व अन्य"* शीर्षक से दायर विवाह विच्छेद याचिका, हि.वि.अ. सं. 991/2023 से उत्पन्न हुआ है।

3. याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) व (i-क) के तहत क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर विवाह विच्छेद की माँग करते हुए याचिका दायर की है। उक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 सहपठित सि.प्र.सं. के आदेश 16 नियम 6 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें पिछले दो वर्षों से प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के मोबाइल नंबरों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को एकत्रित करने, संरक्षित करने तथा प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रत्यर्थी सं. 1 का प्रेमी बताया गया है।

4. दिनांक 04.03.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान कुटुंब न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार हैः-

> "5. अब, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई तस्वीरें विवाद के दायरे से परे हैं क्योंकि वे स्वयं याचिकाकर्ता के इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई हैं। तस्वीरों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि दोनों परिवारों यानी याचिकाकर्ता के परिवार और प्रत्यर्थी सं. 2 के परिवार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 अपने-अपने जीवन साथियों के साथ अक्सर मिलते रहते थे। अत: चूंकि दोनों परिवारों के बीच इतने अच्छे संबंध थे, इसलिए पक्षकारों के बीच फोन कॉल का आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था और इन परिस्थितियों में, फोन कॉल की अवधि या फोन कॉल का समय किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता कि प्रत्यर्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच व्यभिचारी संबंध थे। इसके अलावा, उनके टावर लोकेशन भी स्वाभाविक रूप से कई बार मेल खाते थे क्योंकि प्रत्यर्थीगण एक ही जगह पर होते थे - दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी कर रहे होते थे। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 कुटुंब न्यायालय को किसी भी दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का अधिकार देती है। हालाँकि, साथ ही, किसी पक्षकार के कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश देते समय, निजता के अधिकार पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता के केवल अस्पष्ट और भ्रामक दलीलों के आधार पर कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित करने के निर्देश पारित नहीं किए जा सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के शीर्षक ***सचिन अरोरा (पूर्वोक्त)*** मामले में दिए गए निर्णय में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन तथ्यों के आधार पर उक्त निर्णय को वर्तमान मामले से अलग किया जा सकता है। ***रिट याचिका (सिविल) 13165/2019*** में ***"विश्वास शेट्टी बनाम प्रीति के. राव व अन्य"*** शीर्षक वाले मामले में, ***माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय*** ने पत्नी के प्रेमी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मांग करने वाले पति की प्रार्थना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

> 6. अतः, सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत निर्विवाद तस्वीरों और प्रत्यर्थी सं. 1 एवं प्रत्यर्थी सं. 2 के निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, मैं कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश देना उचित नहीं समझता हूँ। तदनुसार आवेदन खारिज किया जाता है।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कुटुंब न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के बीच लंबित वाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए कॉल डेटा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुटुंब न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप संदेश, तस्वीरें और पुलिस शिकायतें प्रस्तुत की हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी सं. 1, प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ व्यभिचारी संबंध में लिप्त है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 से माफी माँगते हुए उसके साथ अपने अवैध और व्यभिचारी संबंध को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा भेजे गए विभिन्न वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप संदेशों को कुटुंब न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखा है।

6. यह तर्क दिया गया कि विद्वान कुटुंब न्यायालय ने अपने समक्ष मौजूद वादों/विवाद्यकों पर पहले से पूर्वधारणा करके त्रुटि की है, यह निष्कर्ष निकालकर कि तस्वीरों से पता चलता है कि दोनों परिवारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे और तस्वीरों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 अपने-अपने जीवनसाथी के साथ अक्सर मिलते रहते थे। विद्वान कुटुंब

न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क यह था कि यदि प्रत्यर्थीगण अक्सर मिलते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे, तो फोन कॉल की अवधि से यह साबित नहीं होता कि उनके बीच व्यभिचारी संबंध थे। यह तर्क दिया गया कि मोबाइल कॉल की अवधि के साथ-साथ उनकी तीव्रता और बेवक्त बात करना, दोनों प्रत्यर्थीगण के बीच अवैध संबंध के तथ्य को बल प्रदान करता है। यह प्रस्तुत किया गया कि एक विवाहित पुरुष का अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य विवाहित महिला से बेवक्त और वह भी लंबे समय तक बात करना व्यभिचार के अन्य सबूतों की पुष्टि करता है और इस पर पूर्ण विचारण के बाद ही न्यायनिर्णीत किया जाएगा और इसलिए, यह कहकर कि फोन कॉल किसी भी तरह से व्यभिचारी संबंध को साबित नहीं करते हैं, मामले पर पूर्व-निर्णायक निर्णय देना न्याय का उपहास करना है और कुटुंब न्यायालय द्वारा सबूत अभिलेख पर होने के बिना निर्णय देने का प्रयास है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 1, प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ अपने अवैध संबंध का पता चलने के बाद, अपनी माँ के नाम पर पंजीकृत मोबाइल फोन का उपयोग करके प्रत्यर्थी सं. 2 को फोन करती थी। निजता के अधिकार के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष विचारण का अधिकार निजता के अधिकार से ऊपर है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान कुटुंब न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 के

बीच हुई बातचीत के वीडियो, वार्तालाप और प्रतिलेख रिकॉर्ड पर मौजूद थे, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ अपने संबंधों के संबंध में की गई त्रुटियों के लिए स्पष्ट रूप से क्षमा मांगी थी और उन्हें सुधारने का वचन दिया था। इन तथ्यों से सामूहिक रूप से यह अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि वह अवैध संबंध बनाए हुए थी और इसलिए दोनों प्रत्यर्थीगण के बीच व्यभिचारी संबंध से संबंधित वाद/विवाद्यक का न्यायनिर्णयन करने हेतु कॉल लॉग्स प्रासंगिक हैं।

9. यह प्रस्तुत किया गया कि किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का महत्व किसी व्यक्ति के निष्पक्ष विचारण के अधिकार से ऊपर नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **सचिन अरोरा बनाम मंजू अरोरा (2023 एससीसी ऑनलाइन दिल्. 2692) और दीप्ति कपूर बनाम कुणाल जुल्का (2020 एससीसी ऑनलाइन दिल्. 672)** के निर्णयों पर भरोसा जताया गया है।

10. यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए सी.डी.आर. प्रत्यर्थीगण के बीच संबंधों की निकटता को साबित करने के लिए प्रासंगिक हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई बार-बार कॉल यह दर्शाती है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और उसके प्रेमी, प्रत्यर्थी सं. 2, के बीच घनिष्ठ संबंध थे। प्रत्यर्थीगण के टावर लोकेशन यह साबित करते हैं कि प्रत्यर्थीगण विभिन्न अवैध और व्यभिचारी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।

11. प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत मेंदीरत्ता ने कुटुंब न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 के निजता के अधिकार की रक्षा करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को उचित रूप से खारिज किया है, जो कि आत्यंतिक तो नहीं है, लेकिन अस्पष्ट और निराधार कथनों द्वारा इसे कम नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन प्रथम दृष्टया आरोपों को किसी भी प्रमाण से पुष्ट करने में विफल रहा है और केवल सामान्य कथन प्रस्तुत किया है। व्यभिचार के आरोप लगाने वाले मूलभूत तथ्यों के प्रमाण के अभाव में, सी.डी.आर. को माँगने के लिए आवेदन करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में पिछले दो वर्षों के कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने की मांग की है, जो कि अस्वीकार्य है। कॉल रिकॉर्ड के संबंध में कोई विशेष तारीख, समय और स्थान नहीं मांगे गए हैं, जो प्रमाणित करता है कि सी.डी.आर. आवेदन सिर्फ एक खोजपूर्ण प्रयास (फिशिंग एक्सरसाइज) है।

12. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 याचिकाकर्ता का घनिष्ठ मित्र है। दोनों परिवार एक-दूसरे के यहाँ नियमित रूप से आते-जाते रहते थे और उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। वे पारिवारिक छुट्टियों में भी साथ-साथ जाते थे, और इसलिए, ऐसे में दोनों पक्षकारों के बीच फोन पर बातचीत करना कोई असामान्य बात नहीं थी। फोन कॉल की अवधि या फोन

कॉल का समय किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि प्रत्यर्थीगण के बीच व्यभिचारी संबंध था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कई बार टावरों के स्थान भी आपस में मेल खाते थे क्योंकि प्रत्यर्थीगण अपने-अपने दोस्तों और परिवार के साथ उसी जगह पर पार्टी कर रहे होते थे। यह प्रस्तुत किया गया कि तस्वीरों में, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 को प्रत्यर्थी सं. 2 और उनकी पत्नी के साथ अच्छे समय बिताते हुए देखा जा सकता है। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और रिकॉर्डिंग से किसी भी तरह से यह साबित नहीं होता कि प्रत्यर्थीगण का आपस में व्यभिचारी संबंध था। बल्कि, एक व्हाट्सएप चैट में प्रत्यर्थी सं. 1 ने स्पष्ट किया है कि उसने कभी भी सीमा नहीं लाँघि है। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम दृष्टया, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रत्यर्थीगण व्यभिचारी संबंध में थे।

13. यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता/विकृति नहीं है, और इसलिए, इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह मूलतः याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच का विवाद है। प्रत्यर्थी सं. 1 इस विवाद से अनभिज्ञ है। याचिकाकर्ता के इस भ्रामक दावे पर कि वह प्रत्यर्थीगण के बीच अवैध संबंध को साबित करना चाहता है, उसकी निजता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। किसी भी नागरिक को अपनी, अपने परिवार की, अपने वैवाहिक जीवन की और अन्य संबंधित संबंधों की निजता की रक्षा करने का अधिकार है। सूचनात्मक गोपनीयता भी निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

15. प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि जिस मोबाइल नंबर के सी.डी.आर. की याचिकाकर्ता माँग कर रहा है, वह प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता के नाम पर पंजीकृत है और इस नंबर का उपयोग उस कंपनी के अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ लेन-देन में किया जा रहा है जहाँ प्रत्यर्थी सं. 2 कार्यरत है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी सं. 2 की निजता को इस आधार पर उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि याचिकाकर्ता ने संदेहास्पद दलील दी कि उनकी पत्नी अवैध संबंध में संलिप्त है। कोई भी आदेश जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 के टावर संबंधी विवरण वाले सी.डी.आर. को उन कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया हो जिसमें वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, उसकी सूचनात्मक गोपनीयता का उल्लंघन होगा।

16. याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में सि.प्र.सं. के आदेश 16 नियम 6 के तहत तीन मोबाइल नंबरों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए निर्देश मांगे हैं। मोबाइल नंबर 9999990339 प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम पर पंजीकृत है, मोबाइल नंबर 9815587765 प्रत्यर्थी की माँ के नाम पर पंजीकृत

बताया गया है। तथाकथित रूप से कि प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी माँ के नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल प्रत्यर्थी सं. 2 को फोन करने के लिए कर रही थी। मोबाइल नंबर 9818405111 प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता के नाम पर पंजीकृत बताया गया है। इस न्यायालय के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पिछले दो वर्षों की अवधि के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को संरक्षित करने और उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने से प्रत्यर्थीगण के निजता के अधिकार का अतिक्रमण करेगा।

17. **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 1**, मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र को राज्य और गैर-राज्य दोनों ही अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप से बचाता है और व्यक्ति को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देता है। हालांकि, ऐसा अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। यह अधिकार अनिवार्य रूप से उचित प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए, विशेषकर जब प्रतिबंध जनहित में हों। वर्तमान चर्चा के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

> "325. अन्य अधिकारों की तरह जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक स्वतंत्रताओं का हिस्सा हैं, निजता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। निजता का उल्लंघन करने वाली विधि को मौलिक अधिकारों पर लागू होने वाले अनुमेय प्रतिबंधों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में,

> निजता के उल्लंघन को ऐसी विधि के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता हो जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत हो। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी विधि वैध होनी चाहिए। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण को तीन प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए: (i) वैधता, जो विधि के अस्तित्व को मानती है; (ii) आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है; और (iii) अनुरूपता जो उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।"

18. इसी तरह के एक विवाद्यक का निपटान करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ***सचिन अरोड़ा (पूर्वोक्त)*** के मामले में यह राय दी कि हिंदू विवाह अधिनियम विशेष रूप से व्यभिचार को विवाह विच्छेद का आधार मानता है और इसलिए, यह बिल्कुल भी लोकहित में नहीं होगा कि न्यायालयों को निजता के अधिकार के आधार पर उस विवाहित पुरुष की सहायता करनी चाहिए जिस पर उसके विवाह के दौरान, अपनी शादी से बाहर यौन संबंधों में लिप्त होने का आरोप है। इस संबंध में, खण्ड न्यायपीठ ने ***दीप्ति कपूर (पूर्वोक्त)*** के मामले में अपने निर्णय के पैराग्राफ संख्या 22 से 24 में समन्वय न्यायपीठ की टिप्पणियों का संदर्भ दिया। यह निम्नानुसार है:–

> "22. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र और बाद में पूरन मल (पूर्वोक्त) में निर्णय दिए गए थे, तब संविधान के तहत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि वास्तव में हमारे संस्थापकों द्वारा ऐसा कोई अधिकार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित नहीं किया गया था। हालांकि आज, पुट्टास्वामी (पूर्वोक्त) मामले में, हमारे उच्चतम न्यायालय ने निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, साथ ही यह भी कहा है कि निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि अपवादों, सीमाओं और रूपरेखाओं के अधीन

है; और इसे अन्य अधिकारों और मूल्यों के संदर्भ में रखा जाना चाहिए। हालांकि, एम.पी. शर्मा (पूर्वोक्त) और पूरन मल (पूर्वोक्त) के समय भी, अनुच्छेद 14, 19(1)(च), 19(1)(छ), 20(3) व 31, जिनके अंतर्गत ये मामले आए थे, संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों से संबंधित थे; फिर भी उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि मात्र इस आधार पर कि कोई तलाशी या ज़ब्ती अवैध रूप से की गई थी और किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, वह तलाशी या ज़ब्ती को कानूनन अमान्य नहीं बना देगी। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए, इस न्यायालय का मत है कि यद्यपि आज निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, केवल इसी आधार पर उस अधिकार के उल्लंघन में एकत्र किए गए साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं हो जाएंगे। इससे कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 में निहित विशिष्ट वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य स्वीकार्य होगा, चाहे वह साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक हो या स्वीकार्य हो या नहीं।

23. हालाँकि वादकारी पक्षकार को निजता का अधिकार निश्चित रूप से है, लेकिन यह अधिकार विरोधी पक्षकार के उस अधिकार के आगे छोड़ना चाहिए जिसके तहत वह न्यायालय में अपने मामले को साबित करने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। निष्पक्ष विचारण की पवित्र अवधारणा का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वादकारी पक्षकार को न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिले। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि निजता का अधिकार मूल रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है, वहीं निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के व्यापक निहितार्थ हैं और यह लोक न्याय को प्रभावित करता है, जो एक बड़ा विवाद्यक है। यदि वादकारी पक्षकार को शुरुआत में ही प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को खारिज करके निष्पक्ष विचारण के अवसर से वंचित किया जाता है, तो लोक न्याय के उद्देश्य को हानि होगी।

24. चूँकि हमारे संविधान के तहत कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसलिए दो मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में, जैसा कि इस मामले में है, निजता के अधिकार और निष्पक्ष विचारण के अधिकार के बीच विवाद है, जो दोनों व्यापक अनुच्छेद 21 के तहत उत्पन्न होते हैं, निजता के अधिकार को निष्पक्ष विचारण के अधिकार के आगे छोड़ना पड़ सकता है। इस संदर्भ में, हमारे उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान न्यायपीठ द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट

कारपोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 25 के मामले में दिए गए निर्णय की टिप्पणियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

".....यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी एक मूल्य, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बनाए रखने का पूरा भार वहन नहीं कर सकता है। हमारी संवैधानिक प्रणाली में कई महत्वपूर्ण मूल्य निहित हैं, जो हमारी स्वतंत्रता की गारंटी देने में मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये आपस में परस्पर विरोधी भी होते हैं। संविधान के तहत, संभवतः कोई भी मूल्य निरपेक्ष नहीं है। इसलिए, सभी महत्वपूर्ण मूल्यों को अन्य महत्वपूर्ण और अक्सर परस्पर विरोधी मूल्यों के संदर्भ में परिभाषित और संतुलित किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य के लिए परिभाषा, वर्गीकरण और संतुलन की यह प्रक्रिया उतनी ही आवश्यक है जितनी कि अन्य मूल्यों के लिए। इसलिए, उचित मामलों में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध निष्पक्ष विचारण से होना चाहिए। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त मामले में एक अधिकार (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) को दूसरे अधिकार जैसे निष्पक्ष विचारण के अधिकार के आगे नतमस्तक होना पड़ सकता है। इसके अलावा, मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद अनुच्छेद 14 व 21 भी तर्कसंगतता की कसौटी के अधीन हैं।"

19. **<u>जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एससीसी 39,</u>** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विवाहित व्यक्ति द्वारा विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध रखने की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण की हकदार नहीं है। इसलिए, यह कोई अनिर्णित विषय नहीं रह गया है कि निजता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है और इसे निष्पक्ष विचारण के अधिकार के आगे छोड़ना ही पड़ेगा।

20. अतः वर्तमान याचिका में अगला विवाद्यक यह निर्धारित करना है कि क्या याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करने में सक्षम है और क्या

मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी प्रासंगिक है और कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के दायरे में आती है, जो यह प्रावधान करती है कि कुटुंब न्यायालय किसी भी आख्या, बयान, दस्तावेज, सूचना या मामले को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, जो उसकी राय में किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटान करने में सहायक हो, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या न हो।

21. इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीरें याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 के परिवारों के बीच केवल मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती हैं। अधिक से अधिक, वे प्रथम दृष्टया यह भी दर्शाती हैं कि वे अक्सर मिलते-जुलते थे। हालांकि, व्हाट्सएप बातचीत के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं.1 के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थे और प्रत्यर्थी द्वारा "एस" का टैटू बनवाने की इच्छा के कारण कुछ कहा-सुनी हुई थी, जिससे याचिकाकर्ता को संदेह है कि यह प्रत्यर्थी सं. 2 के नाम का पहला अक्षर है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा याचिकाकर्ता को भेजे गए दिनांक 13.12.2022 के वीडियो की प्रतिलिपि (अनुलग्नक पी-12) से पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही है।

22. व्यभिचार अंधेरे और गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए व्यभिचार का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना आसान नहीं होता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 न्यायालय को किसी भी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने की अनुमति

देती है जो विवाद का प्रभावी ढंग से निपटान करने में उसकी सहायता कर सकता है, भले ही उक्त साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं। चूँकि विवाह विच्छेद की याचिका व्यभिचार के आधार पर दायर की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता लंबी अवधि की और वह भी बेवक्त की गई बातचीत के द्वारा प्रत्यर्थीगण की निकटता को दर्शाना चाहता है।

23. इस स्तर पर न्यायालय को केवल प्रारंभिक दृष्टिकोण अपनाना है और मामले का पूर्व-निर्णय नहीं करना है। व्यभिचार के आरोप की पुष्टि में कॉल लॉग सहायक होंगे या नहीं, यह न्यायालय के लिए इस समय विचार करने का विषय नहीं है। यदि अंततः कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साक्ष्य व्यभिचार के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संतोषजनक या पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं, तो कुटुंब न्यायालय मामले के अंतिम विश्लेषण के समय उन्हें अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24. चूँकि याचिकाकर्ता मोबाइल कॉल लॉग, आचरण और अन्य व्यवहार पैटर्न के आधार पर व्यभिचार का मामला साबित करना चाहता है, इसलिए ऐसे साक्ष्य को कुटुंब न्यायालय के समक्ष पेश करने से रोकना न्याय के हित में नहीं होगा। कॉल डेटा रिकॉर्ड मोबाइल सेवा प्रदाता के पास है और याचिकाकर्ता न्यायालय की सहायता के बिना उक्त रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) की नीति के अनुसार, रिकॉर्ड समय बीतने के साथ नष्ट हो सकता है और मामला साक्ष्य के चरण तक

पहुंचने तक उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए इसे संरक्षित करना आवश्यक है। इसलिए, विद्वान कुटुंब न्यायालय को याचिकाकर्ता-पति द्वारा रिकॉर्ड के संरक्षण और उन्हें माँगने के अनुरोध को खारिज नहीं करना चाहिए था। इसलिए, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 6 के तहत माननीय विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हूँ।

25. याचिका को इस निर्देश के साथ स्वीकृति दी जाती है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और उसकी माँ के मोबाइल फोन के पिछले दो वर्षों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए और इसे सीलबंद लिफाफे में विद्वान कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, न्यायालय को प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता के नाम पर दर्ज मोबाइल फोन नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है, क्योंकि याचिकाकर्ता और उसकी माँ के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड इस उद्देश्य को पूर्ण कर देंगे।

रविंद्र डुडेजा, न्या.

28 फरवरी, 2025

आर.एम.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*